वंचित वर्गों के लिए खुला पिटारा

आशीष कुमार 'अंशु'

देश में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के लिए अच्छी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है उसके सही क्रियान्वयन की और मजबूत इच्छाशक्ति की। नई सरकार के कामकाज को देखकर उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि आने वाले समय में योजनाएं सिर्फ कागजों पर आकार नहीं लेंगी बल्कि उसका प्रतिफल जमीन पर भी नजर आएगा और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के जीवन पर भी

गत वर्ष अप्रैल महीने में *स्टैंड अप इंडिया* अभियान का उद्घाटन करते हुए नोएडा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह प्रधानमंत्री ने कहा था: ''दलित एवं जनजातीय भाइयों और बहनों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। उनके जीवन में समद्धि होगी और वे विकास करेंगे।''

उसी मंच से प्रधानमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि आसान शर्तों पर दलित और जनजातीय वर्ग से आने वालों को व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराएं। गत वर्ष डॉ. भीम राव अंबेडकर की जयंती 125वीं थी, इसे केंद्र सरकार ने देशभर में दलित-जनजातीय और वंचित समाज से आने वाले लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का साल बनाने का निर्णय लिया। इस मद में *स्टैंड अप इंडिया* कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र की सरकार दलित और जनजातीय समाज को व्यवसाय के क्षेत्र में इस मंशा के साथ प्रोत्साहित करना चाहती है क्योंकि आने वाले समय में इस समाज से आने वाले लोग नौकरी देने वालों में शामिल रहें। मांगने वालों में नहीं।

बात बजट की की जाए तो इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिप्रेक्ष्य में देखने पर तो यहां अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (एसटीएसपी) में बड़े परिवर्तन का पता चलता है। जिसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए धन का आवंटन 10 ए के अंतर्गत एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए धन का आवंटन 10 बी में रखा गया है। यह कदम मुख्यमंत्रियों की समिति के सुझाव पर उठाया गया। यह समिति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के लिए तैयार की गई थी। वित्त मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध मंत्रालयों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय योजनाओं में धन का आवंटन करते समय *जाधव गाइडलाइन* का पालन किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों के लिए चल रही योजनाओं की संख्या 294 से घटाकर 256 कर दी गई हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए चल रही योजनाएं 307 से घटकर 261 हो गई है। अनुसूचित जातियों के लिए 11 नई योजनाएं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 08 नई योजनाएं वित्त वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई।

वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए 52,393 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और अनुसूचित जनजातियों के लिए 31,920 करोड़ रुपए का। आवंटित राशि कुल बजट का ढाई प्रतिशत है। *जाधव गाइडलाइन* के अनुसार इसे सवाचार प्रतिशत के बराबर होना चाहिए था। यह महत्वपूर्ण है कि एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों से आने वाली महिलाओं को तीन स्तरों पर चुनौती का समाना एक साथ करना पड़ता है। पहला जाति/जनजातीय के स्तर पर, दूसरा वर्ग और तीसरा लिंग संबंधी भेदभाव। इसलिए संसाधनों का वितरण करते समय सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ग विशेष की महिलाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे मिलेगा? यह सिर्फ बजट में उनके नाम से धन आवंटित करने मात्र से कभी संभव नहीं होगा। साथ ही साथ

लेखक इंडिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टडीज से सम्बद्ध हैं। जनजातियों, वंचित वर्गों, ग्रामीण विकास आदि विषयों पर प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में अनवरत लेखन करते रहे हैं। इन विषयों पर अध्ययन, लेखन का लगभग एक दशक का अनुभव। ईमेल: ashishkumaranshu@gmail.com

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित धन का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजातिय समाज की महिलाओं को हासिल हुआ या नहीं? वैसे इस बार बजट में अनुसूचित जाति व जनजातिय महिलाओं के लिए धन का जो आवंटन हुआ है, उसका हिसाब जब किया गया तो परिणाम चौंकाने वाला था। यह हिस्सेदारी जेंडर बजटिंग के अनुसार महज 0.99 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति योजनाओं में महिलाओं के लिए 1.19 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातिय योजनाओं में 1.68 प्रतिशत।

वैसे स्थिति इतनी अधिक निराशाजनक नहीं है। केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ वंचित समाज के लोग कर सकते हैं। मसलन विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में प्रावधान है। इसके अंतर्गत पारिवारिक आय का स्रोत तैयार करने के लिए खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु पालन, लघु सिंचाई कार्यक्रम, मिट्टी का संरक्षण, जंगल, सहकारिता, शिक्षा, छोटे उद्योग जैसे कम संसाधन वाले कार्यक्रमों अथवा प्रयासों में जनजातिय विकास के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। जनजातीय विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो और उनके लिए आवासीय विद्यालय तैयार किए जाएं, इस उद्देश्य पर भी संविधान के 275 (1) में अनुदान का प्रावधान है।

आदिम जनजातीय समूह (प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप) वाले 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 जनजातीय समूह की साक्षरता दर कम है। स्थिर आबादी के आधार पर इन समूह पहचान की गई। पीजीटी के नाम से इन सभी जनजातीय समूहों के विकास की योजना बनी। इसमें जनजातीय समूह का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशु-पालन, सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, जैसे कारकों को शामिल किया गया। यह योजना 1998-99 में प्रारंभ हुई। ग्यारहवे पंचवर्षीय योजना में 2007-08 में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पीजीटी के लिए एक नई योजना संरक्षण एवं विकास (सीसीडी) योजना प्रारंभ की गई। सीसीडी के अंतर्गत आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए राज्य की सरकारों और एनजीओ के बीच समन्वय का काम महत्वपूर्ण रखा गया।

जनजातीय समाज के विकास की निगरानी और योजना के स्तर पर हो रही कमियों पर ध्यान रखने के लिए देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का संजाल खड़ा किया गया। देश में एक दर्जन से अधिक जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं। यह संस्थान जनजातीय समाज के संबंध विभिन्न तरह के अध्ययन करता है, उनके बीच समय समय पर विभिन्न विषयों पर जागरुकता अभियान अथवा सेमिनार, परिचर्चा भी करता है। कई संस्थानों के पास अपना जनजातीय संग्रहालय भी है। इन संग्राहलयों में जनजातीय कला की प्रदर्शनी होती है।

जनजातीय समाज के विकास की निगरानी और योजना के स्तर पर हो रही कमियों पर ध्यान रखने के लिए देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का संजाल खड़ा किया गया। देश में एक दर्जन से अधिक जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना से जनजातीय लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए छात्रावास योजना प्रारंभ की गई। इस छात्रावास के निर्माण के लिए पचास फीसदी राशि केंद्र की तरफ से राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है और केंद्र शासित प्रदेश में यह राशि सौ प्रतिशत केंद्र की तरफ से दी जाती है। जनजातीय समाज से आने वाले लड़के और लड़कियों के लिए देशभर में बने छात्रावासों की वजह से उनकी शिक्षा में काफी सुधार आया है। वर्तमान सरकार में अनुसूचित जाति से आने वाले छात्राओं के लिए इसी तरह की एक नई योजना प्रधानमंत्री विद्या शक्ति योजना तैयार की गई है। जिसमें अनुसूचित जातियों से आने वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत छठी से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य लड़कियों की बीच में पढ़ाई छूटने की दर को कम करना है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस छात्रावास में 70 फीसदी आवास अनुसूचित जाति से आने वाली छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा। बची हुई सीट पर अन्य छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।

पिछले साल 18 अक्तूबर को अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के मेहनती कामगारों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री ने लुधियाना में एससी-एसटी हब की शुरुआत की। इसी मौके पर एक योजना जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट भी प्रारंभ की गई। इस योजना के लिए प्रारंभ में लगभग पांच सौ करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। यह योजना अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समुदाय की पहुंच बाजार तक बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई। यह योजना वित्तीय सहायता से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ एससी/एसटी समुदाय को अधिक से अधिक मिले। समय पर उन तक सूचना पहुंचे इसके लिए काम करेगा। अच्छी तकनीक और पद्धतियों को आपस में साझा करने में एससी/एसटी समुदाय से आने वाले कारोबारियों की मदद करेगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अंतर्गत मंत्रालयों एवं विभागों को अपनी कुल खरीद का 04 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज से आने वाले उद्यमियों से खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है।

जीरो इफेक्ट-जीरो डिफेक्ट योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस उदबोधन में ही कर दी थी। इस योजना के अंतर्गत गुणवत्ता पर एससी/एसटी समाज से आने वाले कारीगर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखा जाएगा।

देश में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के लिए अच्छी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है उसके सही क्रियान्वयन की और मजबूत इच्छाशक्ति की। नई सरकार के कामकाज को देखकर उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि आने वाले समय में योजनाएं सिर्फ कागजों पर आकार नहीं लेंगी बल्कि उसका प्रतिफल जमीन पर भी नजर आएगा और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के जीवन पर भी। ❑